

अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की एक पक्षीये बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन करने एवं एक पक्षीये बहस सुनने से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अपूर्णिय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा विरुद्ध अप्रार्थीगण के दिनांक 28.12.2021 तक इस कदर जारी की जाती है कि वे हाल आराजी खसरा नम्बर 83/0.44, 84/1.48, 85/0.98, 86/0.96, 102/1.13, 101/0.99, 104/1.21, हैक्टेयर वाके मौजा बाबरिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज. के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखें। प्रार्थना पत्र दर्ज पंजीका हो। अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड एडी के नोटिस जारी हो। पत्रावली बाद तामील होकर दिनांक 28.12.2021 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
बानसूर (अलवर)

12/11/21 आज यह पत्रावली तलब कर प्रशासन गांघों के संग अभियान/कैम्प कोर्ट. में पेश की गई। पक्षकारन/वकुलाय अनुपस्थित रहे। पत्रावली आगामी दिनांक 28/12/21 को पेश हो।

20/11/21 आज यह पत्रावली पेश हुई। कोरोना संक्रमण को देखते हुये पत्रावली आईन्दा दिनांक 28/12/21 को पेश हो।

31/12/21 पत्रावली का अन्तर्गत पत्रावली बाद तामील होकर दिनांक 28/12/21 को पेश हो।

16/5/21 प्राथम पक्ष नाली मिरराम की अनुपस्थाना से पत्रावली आज को जारी पेश की गयी। प्राथम पक्ष पेश कर मिरराम

Notto  
Prasad  
19/11/21

विषय की लगी उक्त वाद में प्राचीन व  
 अपुशीगत के मध्य आपस में बहामी रूप से  
 वादीनामा लेगी। की प्रकरण लगे आगे नहीं  
 चलाएंगे नोट प्रेस में प्रकीर्ण शरवाना-चाहाई  
 प्राचीन लगे प्राचीन पत्र आगे नहीं चलाएंगे  
 लगी प्राचीन पत्र स्वीकार की लगे आइसोप  
 लगी प्राचीन व प्राचीन पत्र नोट प्रेस में प्रकीर्ण  
 विषय लगे प्राचीन प्रकाशक सुमाएके  
 नम्वर से लगे प्राचीन वाद पूर्ण शरवाना-चाहाई

सहायक कलक  
 बानसुर (बनारस)

This document is a handwritten note in Hindi, possibly a draft or a collection of thoughts. It discusses various topics related to newspapers, press, and public opinion. The text is somewhat fragmented and contains several lines that are crossed out or partially obscured. The signature at the bottom right identifies the author as an assistant editor from Banarsur (Banaras).